**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2015

**का. आ. 3072(अ).—**जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 18 मार्च, 2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 614 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "जामिया उलूमूल कुरान-जम्बूसर, बाईपास रोड, पो.ओ.जम्बूसर, भरूच जिला-392150, गुजरात" द्वारा "क्षतिग्रस्त भवन की जगह पुर्ननिर्माण" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2008-09 को शुरू होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 17 पर अधिसूचित किया था और जिसे बाद में दिनांक 16.03.2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 470 (अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 16.03.2012 की अधिसूचन सं. का.आ. 470(अ) द्वारा अनुमानित लागत को 1.47 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 3.09 करोड़ रूपये किया गया;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि परियोजना लागत को 3.09 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 4.40 करोड़ रूपये तक बढ़ाए जाने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने और परियोजना लागत को 3.09 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 4.40 करोड़ रूपए तक बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा "जामिया उलूमूल कुरान-जम्बूसर, बाईपास रोड, पो.ओ.जम्बूसर, भरूच जिला-392150, गुजरात" द्वारा चलाई जा रही "क्षतिग्रस्त भवन की जगह पुर्ननिर्माण" की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है और;

(ख) दिनांक 18 मार्च, 2010 की उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 614(अ) को निम्नलिखित आशय के लिए और आगे संशोधित करती है नामत:-

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं० 8 के सामने तालिका में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35कग के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाने वाली लागत की अधिकतम राशि से संबंधित कालम (4) में "3.09 करोड़ रूपये" अक्षरों, अंकों और शब्दों को "4.40 करोड़ रूपये" अक्षरों, अंकों और शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सं. 262/2015 /फा. सं. वी -27015/3/2015 एस ओ ( एन. सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)